राजस्थान सरकार

(कायदा – 129) 2024/4

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111–128 प्रार्थनापत्र	4/2024	18/1/2024	ABD 2/5/24	30/1/24

अनवान

श्री सुरजमल s/o भवानीशंकर जाति सुनार श्री अशोक s/o मोहनलाल जाति ब्राह्मण

निवासी आरोली, तह. बिजौलिया निवासी आरोली, तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़ श्री ......

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

सूरजमल बनाम अशोक

किस्म मुकदमा – 111 – 128 नम्बर 4 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/1/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 30/1/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
30/1/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्राजावली दिनांक 20/2/24 को वास्ते त./ज. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
20/2/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण (1, 2, 9, 10) फौत हो चुके हैं, पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक आगामी दिनांक 5/3/24 को पेश हो	
5/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्राजावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते सं. शी. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
16/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्राजावली दिनांक 2/5/24 को वास्ते उक्त पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय / आदेश आगामी दिनांक 02/05/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

5/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश / निर्णय पारित किए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 09/24 तारीख दायर 18/01/24

सुरजमल पुत्र भवानीशंकर जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

1. लालूराम पुत्र राधाकिशन जाति नाई उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजेश पुत्र पन्नालाल जाति नाई उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. केसरीमल पुत्र पन्नालाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. धन्ना पुत्र सेवा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. वनमाला पत्नि लाभचन्द जाति जैन उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. अशोक पुत्र नेमीचन्द जाति जैन उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 02/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 329 पर अंकित आराजी संख्या 1074/905, 826, 838, 839, 840, 842, 901, 902, 903, 904, 905 कुल किता 11 रकबा 2.4037 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 329 पर अंकित आराजी संख्या 1074/905, 826, 838, 839, 840, 842, 901, 902, 903, 904, 905 कुल किता 11 रकबा 2.4037 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 4/2024 तारीख दायर 2/5/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....4................/ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

सुरजमल पुत्र भवानीशंकर जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

........................प्रार्थी

बनाम

1. लालूराम पुत्र राधाकिशन जाति नाई उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजेश पुत्र पन्नालाल जाति नाई उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. केसरीमल पुत्र पन्नालाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. धन्ना पुत्र सेवा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. वनमाला पत्नि लाभचन्द जाति जैन उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. अशोक पुत्र नेमीचन्द जाति जैन उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 329 पर अंकित आराजी संख्या 1074/905, 826, 838, 839, 840, 842, 901, 902, 903, 904, 905 कुल किता 11 रकबा 2.4037 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ